कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
अद्यतन कार्य विभाजन आदेश वर्ष–2022

क्रमांक 229 /सां0लि0–36/2005 हरदा, दिनांक 01/09/2022

मैं पी0सी0 गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0) सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 10 (2), 194, 381 (2) और धारा 408 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिक्रमित (सुपरसीड) करते हुए, सिविल जिला हरदा में पदस्थ समस्त न्यायाधीशों/न्यायालयों के बीच सिविल कार्य एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दाण्डिक कार्य का वितरण/विभाजन एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार घोषित करता हूँ। यह आदेश दिनांक 01/09/2022 से प्रभावशील होगा, परंतु इस कार्य विभाजन आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीश के पास लंबित है या प्रस्तुत हुए हैं उन पर, न्यायिक/प्रशासकीय आदेश से अन्यथा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सं.क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनु क.	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	प्रधान जिला एवं न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	सत्र खण्ड जिला हरदा	1	विशेष सत्र न्यायाधीशों के द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले सत्र मामलों **को छोड़कर समस्त सत्र प्रकरण।**
			2	ई.सी. एक्ट से संबंधित आपराधिक अपील।
			3	शेष समस्त आपराधिक अपील।
			4	समस्त आपराधिक पुनरीक्षण।
			5	न्यायिक जिला हरदा पर उद्भूत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438, 439 दं.प्र.सं. (विशेष/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश SC/ST(POA) Act, NDPS Act, PC Act, POCSO Act, Electricity Act से संबंधित सीधे संज्ञान में लिये जाने वाले एवं ऐसे विशेष मामलों में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438, 439 दं.प्र.सं. को छोड़कर)
			6	धारा 408 एवं 409 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।
			7	मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएं। (अधिसूचना भोपाल, दिनांक 09.09.1996 के अंतर्गत)
			8	भारतीय सती (प्रतिषेध) अधिनियम के मामले।
			9	विचाराधीन मामलों से संबंधित विविध आवेदन।
			10	विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 01.05.2010 एवं रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक ए/1416 दिनांक 02.06.2010 के अनुसार औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख), धारा 22 की उपधारा (3) धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध के प्रस्तुत प्रकरण।
			11	विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 08.12.2017 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

			12	किसी अधिनियम, नियम, अधिसूचना द्वारा या राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायाधीश को अधिकृत किया गया हो तो तत्संबंधी समस्त विशेष प्रकरण।
			13	अन्य समस्त ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में पृथक से नहीं है।
			14	ग्राम न्यायाधिकारी, हरदा/हंडिया द्वारा निराकृत मामलों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें और संबंधित विविध कार्यवाहियां।
			15	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
		सिविल जिला हरदा (कुटुम्ब न्यायालय हरदा के क्षेत्राधिकार के नगर पालिका सीमा हरदा से उत्पन्न प्रकरणों को छोडकर)	1	रू. 5,00,00,001/- (पांच करोड़ एक रू.) से अधिक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत प्रस्तुत रिफरेंस प्रकरण व उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			3	म.प्र. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत रेफरेंस तथा विविध कार्यवाहियां।
			4	ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
			5	कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
			6	म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			7	धारा 20 म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अधीन चुनाव याचिकाएं।
			8	धारा 441 म.प्र. नगर पालिका 1956 के अधीन चुनाव याचिकाएं।
			9	धारा 9 अशक्त व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास) अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत रेफरेंस तथा विविध कार्यवाहियां।
			10	भाडा नियंत्रण प्राधिकारी, हरदा के द्वारा पारित निर्णय व आदेशों से उत्पन्न नियमित तथा विविध अपीलें।
			11	ग्राम न्यायाधिकारी, हरदा द्वारा निराकृत मामलों से उत्पन्न व्यवहार अपीलें और संबंधित विविध कार्यवाहियां।
			12	समस्त वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश एवं कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशगण द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों की अपीलें।
			13	धारा 24 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			14	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
			15	लोकल फण्ड आडिट अधिनियम 1938 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।

			16	पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें, पुनरीक्षण तथा आवेदन पत्र।
			17	धारा 68 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेश/निर्णय से उद्भूत समस्त नियमित सिविल अपीलें।
			18	इंश्योरेंस अधिनियम 1938 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			19	विनिमय बोर्ड अधिनियम 1922 (1992 का 15) की धारा 26क प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के तहत सुनवाई किये जाने वाले विशेष प्रकरण से संबंधित कार्यवाहियां।
			20	ऐसे समस्त प्रकरण जिनका इस कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र उल्लेख नहीं है।
			21	लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य से बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 9 के प्रकरण।
			22	आर्बिट्रेशन तथा कौंसिलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 34 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण सहित सभी प्रकरण।
2.	विशेष न्यायाधीश अनु.जाति, जनजाति (अत्या. निवा.) अधिनियम व एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा प्रथम जिला न्यायाधीश हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हरदा एवं	सत्र खण्ड जिला हरदा	1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन समस्त विशेष प्रकरण व उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियां तथा धारा 438 व 439 दं0प्र0सं0 के तथा अन्य प्रतिभूति आवेदन पत्र। (म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर के मेमो क्र. डी/1869 दि. 18.06.2021 के अनुसार उन मामलों को छोड़कर जो SC/ST(POA) Act, 1989 एवं POCSO Act, 2012 दोनों के अंतर्गत पंजीबद्ध है)
			2	स्वापक औषधी एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन समस्त विशेष प्रकरण व उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियां तथा धारा 438 व 439 दं0प्र0सं0 के तथा अन्य प्रतिभूत आवेदन पत्र।
			3	समय समय पर प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले।
		सिविल जिला हरदा	1	ऐसे व्यवहार मामले जो समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।
			2	रू0 3,00,00,001/-(रू0 तीन करोड़ एक) से 5,00,00,000/- (रू0 पांच करोड़) तक के अ एवं ब वर्ग के वाद (वाणिज्यिक प्रकरणों को छोड़कर) (समस्त हरदा जिला)
			3	थाना क्षेत्र सिविल लाईन हरदा में घटित दुर्घटना से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं उनसे संबंधित मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, जो मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत उक्त थाना क्षेत्र के स्थानीय अधिकारिता के होने के कारण क्षेत्राधिकार में आते हों।

			4	हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रकरण एवं जुवेनाईल जस्टिस एक्ट की धारा 41 से संबंधित प्रकरण।
			5	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार एवं दुर्घटना दावा प्रकरण से संबंधित निष्पादन प्रकरण एवं समस्त विविध कार्यवाही तथा पूर्व में निराकृत दुर्घटना दावा प्रकरण से संबंधित भुगतान कार्यवाहियां।
			6	प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक मामले।
3	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (u/s sec. 376 and Other Offence Against Women Cases) तथा सदस्य दुर्घटना दावा अधिकरण	सत्र खण्ड हरदा	1	ऐसे व्यवहार मामले जो समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।
			2	उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना दिनांक 05.05.2009 / 02.05.2013 के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) तथा विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) द्वारा प्रस्तुत होने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रकरण व कार्यवाहियां तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत, धारा 438, 439 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			3	जिला हरदा की क्षेत्राधिकारिता के समस्त थानों के महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
		सिविल जिला हरदा	1	रू0 2,00,00,001=00 (रू0 दो करोड़ एक) से 3,00,00,000=00 (रू0 तीन करोड़) तक के अ एवं ब वर्ग के वाद (वाणिज्यिक प्रकरणों को छोड़कर) (समस्त हरदा जिला)
			2	थाना क्षेत्र टिमरनी, रहटगांव एवं छीपाबड़ में घटित दुर्घटना से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं उससे संबंधित मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दुर्घटना दावा प्रकरण, जो मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत उक्त थाना क्षेत्र के स्थानीय अधिकारिता के होने के कारण क्षेत्राधिकार में आते हों।
			3	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां एवं भुगतान कार्यवाहियां।
			4	हरदा जिले से बाहर घटित दुर्घटना से उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा मामले जिनमें आवेदक मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत हरदा जिले में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार रखता हो।
			5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भाग–10 के प्रकरणों को छोड़कर संपूर्ण प्रकरण।

			6	रूपये 501=00 से रूपये 1,000=00 तक के लघुवाद मामले।
4	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य दुर्घटना दावा अधिकरण	सत्र खण्ड हरदा	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरण।
			2	भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत जिला हरदा के समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन और अन्य विविध कार्यवाहियां।
			3	किशोर न्याय बोर्ड के निर्णयों, आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपीलें।
			4	न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक प्रकरण एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां।
		सिविल जिला हरदा	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रू0 1,00,00,001=00 (रू0 एक करोड़ एक) से 2,00,00,000=00 (रू0 दो करोड़) तक के अ एवं ब वर्ग के वाद (वाणिज्यिक प्रकरणों को छोड़कर) (समस्त हरदा जिला)
			3	थाना क्षेत्र सिराली, हंडिया एवं सिटी कोतवाली, हरदा में घटित दुर्घटना से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन, एवं उससे संबंधित मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दुर्घटना दावा प्रकरण, जो मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत उक्त थाना क्षेत्र के स्थानीय अधिकारिता के होने के कारण क्षेत्राधिकार में आते हों।
			4	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां एवं भुगतान कार्यवाहियां।
			5	फा.क्र. 17(ई)2/2019/21–ब (एक)/103/2019 दिनांक 30.01.2019 के अनुसार अधोसरंचना से संबंधित विनिर्दिष्ट अनुतोष के मामले।
5	तृतीय जिला तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरदा (विशेष न्यायाधीश (POCSO Act. 2012)	सत्र खण्ड हरदा	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरण।
			2	लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरण तथा उनसे उद्भूत जमानत आवेदन पत्र रिमाण्ड कार्यवाही एवं समस्त विविध कार्यवाही (ऐसे मामले जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम दोनों से संबंधित है, उनके बारे में उपरोक्तानुसार कार्यवाही) ।
6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक (वरिष्ठ खण्ड)	तहसील हरदा, हंडिया व सिराली	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रूपये 5,00,001=00 (रू0 पांच लाख एक) से रूपये 1,00,00,000=00 (रू0 एक करोड़) तक के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।

			3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक प्रकरण तथा न्यायालय में लंबित व निराकृत सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।
			4	पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत व्यवहार वाद तथा दांडिक पुनरीक्षण।
			5	शून्य से 500=00 रू0 तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
			6	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भाग–10 के समस्त प्रकरण।
			7	मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अधीन प्रकरण। (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
			8	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालयों के सिविल प्रकरणों से संबंधित :– (i) अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित समस्त मामले। (ii) उक्त न्यायालय के आदेश/निर्णय से उत्पन्न विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।
7	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 खिरकिया (वरिष्ठ खण्ड)	तहसील खिरकिया	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रू0 0=00 (शून्य) से 1,00,00,000=00 (रू0 एक करोड़) तक के मूल्य के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।
			3	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 खिरकिया के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।
			4	पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत व्यवहार वाद तथा दांडिक पुनरीक्षण।
			5	शून्य से 500=00 रूपये तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
			6	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भाग–10 के समस्त प्रकरण।
			7	मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अधीन प्रकरण। (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
			8	अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित समस्त मामले।
8	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, टिमरनी (वरिष्ठ खण्ड)	तहसील टिमरनी व रहटगांव	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रू0 5,00,001=00 (रू0 पांच लाख एक) से 1,00,00,000=00 (रू0 एक करोड़) तक के मूल्य के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।
			3	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 टिमरनी के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।

			4	201=00 रूपये से 500=00 रूपये तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
			5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भाग–10 के समस्त प्रकरण।
			6	मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अधीन प्रकरण।
9	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 टिमरनी (कनिष्ठ खण्ड)	तहसील टिमरनी व रहटगांव	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रू0 0=00 (शून्य) से 5,00,000=00 (पांच लाख) तक के मूल्य के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।
			3	रू0 0=00 से 200=00 रू0 तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
			4	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 टिमरनी के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक प्रकरण तथा न्यायालय में लंबित व निराकृत सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा (कनिष्ठ खण्ड)	तहसील सिराली	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रू0 0=00 (शून्य) से 5,00,000=00 (पांच लाख) तक के मूल्य के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।
			3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।
			4	रू0 0=00 से 200=00 रूपये तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा (कनिष्ठ खण्ड)	तहसील हंडिया	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रू0 0=00 (शून्य) से 5,00,000=00 (पांच लाख) तक के मूल्य के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।
			3	रू0 0=00 से 200=00 रूपये तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
			4	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना पृष्ठांकन क.बी/2392/III-6-4/72-XI जबलपुर दिनांक 01.05.2019 के अधीन समस्त प्रकरण।
			5	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।
12	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा (कनिष्ठ खण्ड)	तहसील हरदा	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रू0 0=00 (शून्य) से 5,00,000=00 (पांच लाख) तक के मूल्य के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।
			3	रू0 0=00 से रू0 200=00 तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।

			4	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।
13	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 एवं ग्राम न्याया–धिकार तथा जिला रजिस्ट्रार, हरदा (कनिष्ठ खण्ड)	ग्राम न्यायालय हरदा व हंडिया तथा जनपद पंचायत हरदा	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दि0 20.03.2019 से राजस्व तहसील हरदा की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/ जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसीलें, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए जहां तक कॉलम नंबर–3 में उल्लेखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है, के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।
			3	प्रति सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित किया जावेगा।

न्यायाधीशगण की अवकाश अवधि अथवा अनुपस्थिति की दशा में निम्नानुसार कार्य व्यवस्था रहेगी :–

अनुसूची–''अ''

स. क्र.	न्यायालय का नाम	कालॅम क्रमांक 2 के अवकाश अथवा स्थानांतरण होने से कार्य देखने वाले न्यायाधीश का नाम	कालॅम क्रमांक 2 एवं 3 के दोनो के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले न्यायाधीश का नाम	कालॅम क्र0 2,,3 एवं 4 तीनों के अवकाश पर होने से उनके स्थान पर कार्य देखने वाले न्यायाधीश का नाम
1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश हरदा	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश हरदा
2	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश हरदा	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश हरदा
3	प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश हरदा	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश हरदा	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश हरदा	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा
4	द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश हरदा	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश हरदा	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा
5	तृतीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश हरदा	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश हरदा	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश हरदा	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा

अनुसूची–''ब''

स0 क्र0	न्यायालय का नाम	कालॅम क्रमांक 2 के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले न्यायाधीश का नाम	कालॅम क्रमांक 2 एवं 3 के दोनो के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले न्यायाधीश का नाम	कालॅम क्र0 2,,3 एवं 4 तीनों के अवकाश पर होने से उनके स्थान पर कार्य देखने वाले न्यायाधीश का नाम
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 हरदा के न्या0 के अति0 न्यायाधीश टिमरनी	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 खिरकिया	उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश हरदा
2	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 खिरकिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 हरदा के न्या0 के अति0 न्यायाधीश टिमरनी	उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश हरदा
3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 हरदा के न्या0 के अति0 न्यायाधीश टिमरनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 हरदा	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 खिरकिया	उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश हरदा

4 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 टिमरनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 हरदा के न्या0 के अति0 न्यायाधीश टिमरनी	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश हरदा
5 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश हरदा
6 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश हरदा
7 तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश हरदा
8 चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश हरदा

नोट :–

(1) इस जिला स्थापना पर यदि किसी न्यायालय में पदस्थ पीठासीन अधिकारी व्यवहार न्यायाधीश का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाता है तो उक्त न्यायालय (रिक्त न्यायालय) को आवंटित समस्त सिविल कार्य आगामी आदेश होने तक स्थापना पर पदस्थ उल्लेखित सारणी अनुसार प्रथम प्रभारी न्यायाधीश द्वारा संपादित किये जायेंगे ।

(2) किसी पीठासीन अधिकारी के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में प्रभारी अधिकारी समस्त (सिविल व आपराधिक) अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे।

(3) पूर्व में रिक्त रहे ऐसे सभी न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत हैं, का तत्समय का समस्त कार्य वर्तमान मे कार्यरत संबंधित न्यायालय द्वारा संपादित किया जावेगा ।

(4) जिला स्थापना पर कार्यरत किसी जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने की दशा में उक्त रिक्त न्यायालय के अत्यावश्यक (सिविल एवं आपराधिक) कार्य हेतु सारणी के उल्लेखित नियुक्त प्रथम प्रभारी अधिकारी के द्वारा ही क्लेम प्रकरणों में जमा राशि के भुगतान संबंधी कार्यवाही सहित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियॉ सम्पादित की जायेगी।

(5) क्षेत्राधिकार के संबंध में भ्रम की स्थिति में आवेदन प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(6) निराकृत विशेष प्रकरणों के संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों से आदेश प्राप्त होने पर कार्य कार्यविभाजन आदेश में दिये गये क्षेत्राधिकारिता अनुसार अधिसूचित न्यायालयों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(7) प्रभारी न्यायिक अधिकारी हेतु उल्लेखित सारणी में जिला न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीशों के तीनो प्रभारियों के अवकाश पर होने की स्थिति में स्थापना पर उपस्थित वरिष्ठ जिला न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड द्वारा विधिवत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(8) म0प्र0 विशेष अधिनियम के मामले, म0प्र0 शासन विधि एवं विधायी विभाग के अधिसूचना कमांक–फा.क.17(ई) 8–2012/इक्कीस–ब (एक) 282/2021 के अनुसार, भोपाल के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(9) मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी विभाग की अधिसूचना कमांक फा0 क0 17(ई)17/2016/इक्कीस–ब (एक) 1888/2019 के अनुसार, कामर्शियल कोर्ट एक्ट के मामले, भोपाल के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(10) समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं म0प्र0 विधि एवं विधायी विभाग के अधिसूचनाओं द्वारा जिन विशेष न्यायालय को अधिकारिता दी गई है वही कार्यवाही करेंगे और यदि हरदा क्षेत्र की अधिकारिता अन्य किसी जिले के विशेष न्यायालय को दी गई हो तो वहां होगी।

01/05/2022

(पी0सी0 गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृष्ठांकन क्रमांक 1124 / सां0लि0 / 36 हरदा, दिनांक 01 / 09 / 2022

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम), हरदा
3. समस्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरदा
4. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हरदा
5. समस्त व्यवहार न्यायाधीश / अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश हरदा / टिमरनी / खिरकिया
6. रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हरदा
7. सचिव, बार एसोसिएशन, हरदा / टिमरनी / खिरकिया
8. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

9. सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य–विभाजन आदेश जिला न्यायालय, हरदा की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा सर्वसंबंधित की ओर ऑनलाईन प्रसारित करें।

1/9/22

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा